



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

PABX: 2428721-24 FAX : 0294-2428721

E-mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

यू. ओ. नोट

विषय :- संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत कुसुम योजना (Component C) की हस्तांतरित राशि के समायोजन बाबत।

विभागीय पत्रांक 29335-49 दिनांक 02.12.2020 द्वारा प्रथम किस्त की राशि रूपये 200.00 लाख संबंधित अधीक्षण अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के संबंधित वृत्त को विशेष केन्द्रीय सहायता मद में शासन की स्वीकृति सं. 53/2018-19 अन्तर्गत आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध राशि में से हस्तांतरण हेतु स्वीकृति जारी की गयी।

विभागीय पत्रांक 1669-83 दिनांक 14.01.2021 द्वारा द्वितीय किस्त की राशि रूपये 210.00 लाख संबंधित अधीक्षण अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के संबंधित वृत्त को विशेष केन्द्रीय सहायता मद में शासन की स्वीकृति सं. 60/2018-19 सडक सुरक्षा एवं लोक परिवहन को प्रोत्साहन अन्तर्गत आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध राशि में से हस्तांतरण किये गये।

उपरोक्तानुसार हस्तांतरित राशि का समायोजन शासन की स्वीकृति संख्या 73/2020-21 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना हेतु प्राप्त राशि 800.00 लाख में से किया जावे।

Sd/-
(डॉ. वृद्धि चन्द गर्ग) R.A.S
अतिरिक्त आयुक्त

वित्तीय सलाहकार
कार्यालय हाजा

क्र.एफ 5/अभि/सीटीएडी/275(1)/कुसुम योजना/20-21/12716-27 दिनांक: 08/04/2022
प्रतिलिपि :-

1. संभागीय मुख्य अभियंता (उ.जो) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
2. अधीक्षण अभियंता अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बांसवाडा/डूंगरपुर/प्रतापगढ़/सिरोही/राजसमंद/चित्तौड़गढ़/पाली।
3. निदेशक, मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा/गार्ड फाईल कार्यालय हाजा।

Sd/-
अतिरिक्त आयुक्त